न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

४/

ई0सी0 वाद सं0–03/2016–17

राज्य **बनाम** मनोज साव

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12.10.2018	**आदेश** प्रस्तुत वाद अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति, पटना के पत्रांक 641(आ0) दिनांक–20.03.2018 के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के पत्र 309 (आ0) दिनांक 04.03.2016 के साथ, फुलवारीशरीफ थाना में कांड सं0 165/10 दिनांक 25.03.2010 में दर्ज प्राथमिकी के आलोक में समर्पित अधिहरण प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया। उक्त पत्र के आलोक में प्रश्नगत वाद में दिनांक–16.04.2016 को पारित आदेश द्वारा आरोपी (विपक्षी) को नोटिस निर्गत करते हुए, आदेश दिया गया कि फुलवारीशरीफ थाना में कांड सं0 165/10 में जप्त किरासन तेल तथा अन्य सामग्री के पक्ष में यदि कोई साक्ष्य हो तो निर्धारित तिथि को स्वंय अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम् से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा–6ए में प्रदत्त शक्ति के आलोक में सरकारी उपयोग हेतु अनुदानित खाद्यान्न के अवैध भण्डारण के आरोप में जप्त खाद्यान्न को राज्यसात (**Confiscate**) कर लिया जायेगा। जप्त अवैध रूप से भण्डारित किरासन तेल को विनिष्टता से बचाने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर को बाजार दर पर बिक्री कराकर बिक्री से प्राप्त राशि को कोषागार चालान के माध्यम से सरकारी खजाना में जमा कराने का आदेश दिया गया। विपक्षी (आरोपी) दिनांक 03.06.2016 से 30.06.2016 तक लगातार 03(तीन) तिथियों पर अनुपस्थित रहे। दिनांक–28.07.16 को अंतिम मौका देते हुए अगली तिथि दिनांक 20.08.2016 निर्धारित की गयी। दिनांक–11.11.16 से 16.03.18 तक लगातार 12 (बारह) तिथियों पर भी विपक्षी (आरोपी) अनुपस्थित रहे। दिनांक–16.03.2018 को पुनः नोटिस निर्गत करते हुए अगली तिथि	

22.05.18 को निर्धारित की गयी। नोटिस तामिला प्राप्त। दिनांक–22.05.2018 से 12.10.2018 तक लगातार 03 (तीन) तिथियों पर भी विपक्षी (आरोपी) अनुपस्थित रहे। आरोपी (विपक्षी) स्वंय अथवा उनके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा जप्त नीला किरासन तेल के सम्बन्ध में कभी भी कोई दावा अथवा मालिकाना अधिकार प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जप्त नीला किरासन तेल का भंडारण कालाबाजारी की नीयत से की गयी थी, जिसका कोई मालिक नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय के दिनांक–16.04.2016 के द्वारा पारित आदेश के द्वारा जब्त नीला किरासन तेल को बिक्री कर प्राप्त पूर्ण राशि को कोषागार में सरकारी खजाने में चालान से जमा करने का आदेश दिया गया था।

ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त किसी की दावेदारी या मालिकाना अधिकार प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में जप्त समाग्रियों (जप्ती सूची में यथा वर्णित) को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा–6ए में प्रदत्त शक्ति के आलोक में राजसात (**Confiscate**) किया जाता है।

साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर को आदेश दिया जाता है कि जप्त नीला किरासन तेल को बाजार दर एवं अन्य समाग्रियों को नियमानुकूल बिक्री कराकर, बिक्री से प्राप्त पूर्ण राशि को सरकारी खजाना में कोषागार चालान से जमा कर दें। उक्त चालान की एक स्व हस्ताक्षरित प्रति न्यायालय में अनुपालन हेतु भेज दे ताकि भविष्य में सक्षम न्यायालय से प्राप्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। कालान्तर में व्यवहार न्यायालय से प्राप्त आदेश के फलाफल का अनुपालन किया जायेगा।

लेखापित एवं संशोधित।

12/10/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

12/10/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।